



R-11






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



विक्रय-पत्र

- 1. बी0कोड सं0- 1018, पृष्ठ सं0- 148, क्रमांक सं0- 562, कालम--
- 2. बाजारी कीमत- 1,25,000/-रु0, स्टाम्प- 8,750/- रु0,
- 3. उ0प्र0 स्टांभ (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमवली 1997 के नियम 4 के अंतर्गत 01.08.2018 से विक्रित स्थल पर मूल्यांकन सूची में दी गई दर रु0 25 लाख प्रति हे0
- 4. भूमि का प्रकार - कृषि
- 5. परगना - सदर
- 6. ग्राम - रसूलपुर जहाँनगल
- 7. सम्पत्ति का विवरण - गटा सं0- 92 ग आदि

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





.....

.....

.....


.....



.....

.....

.....



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

5. सड़क की स्थिति - सड़क के लिये माने से करीब 1/2 किमी० दूरी
6. श्रमालो का क्षेत्रफल - 0.247 हे० में 1/5 भाग
7. दिखेला अनुसूचित जाति व अगलाली का नहीं है।
7. प्रतिकूल 120,000/-

विवरण चौहददी :-

- |        |   |                |
|--------|---|----------------|
| दूरब   | - | खेत किशन कुमार |
| पश्चिम | - | खेत बली अहमद   |
| उत्तर  | - | खेत आफरीन      |
| दक्षिण | - | खेत आफरीन      |



*Handwritten signature or text*




*Handwritten signature or text*



*Handwritten signature or text*

*Handwritten signature or text*





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

इन कि नका अहमद व अली अहमद व बली अहमद पुत्रगण सनाउल्ला व रईसा बेगम  
 यली सनाउल्ला, निवासीगण मो० बिल्दलीपुरा, शहर व जिला शाहजहाँपुर।




... प्रथम पक्ष

व


रत इन्का सर्विसेज प्रा०लि० लोधीपुर जिला शाहजहापुर द्वारा डायरेक्टर, नन्दक  
 कुमार अग्रवाल पुत्र शान्ती <sup>प्रसाद</sup> अग्रवाल, नि०मो० अजीजगंज, शहर व जिला  
 शाहजहाँपुर।

... द्वितीय पक्ष

य कि प्रारंभी अफसर सचिवगणीय मुजिदारी शिवाय राम रसूलपुर जलोबागल परगना  
 व तहसील सदर, जिला शाहजहाँपुर जिसका दिवरण अत मे दिया गया है, उसे


 जहाँ अहमद  

 जहाँ अहमद  






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

राजस्व अभिलेखों में कृषि दर्ज है और वर्तमान में कृषि हो रही है। हम प्रथम पक्ष की हैं। जिसके बावजूद हम प्रथम पक्ष को पूर्ण हक मालिकाना हस्तान्तरण आवधिक प्राप्त हैं। आरक्षणी कारण प्राप्त तक के हर प्रकार के सरकारी व गैर सरकारी कर्ज व बाध्यता आदि से मुक्त व सशक्त है कोई किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। हम प्रथम पक्ष ने खूब सोच समझकर बिना किसी जबर व दबाव के खुशी खुशी रुपये 1,20,000/- रु० एक लाख बीस हजार रुपये कि जिसके अर्धे मु० 60,000/- रु० साठ हजार रुपये होते हैं, मे वदरत द्वितीय पक्ष के हाथ देन की तथा कुल मिलाकर


[Handwritten signatures and stamps]



भारत गणराज्य के न्याय विभाग  
दिल्ली



FIVE HUNDRED  
RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश (UP) PRADESH

(5)

द्वितीय पक्ष से नगद प्राप्त कर द्वितीय पक्ष को अपने समान समस्त अधिकारों सहित  
मालिक काबिज व दखील बना दिया। कब्जा व दखल साकई दे दिया अब नहीं रहा  
कोई हक हम प्रथम पक्ष व वारिसान मेरे का विक्रित कास्त के बावजूद यदि कोई हम  
अथवा पक्ष का कोई सदस्य सरीक या साझेदार बनकर दावा करे तो दावा वसिल व  
जजायज होवे निकल जावे जुज या कुल भाग द्वितीय पक्ष के कब्जे से तो द्वितीय  
पक्ष को हक होगा कि वह अपना कुल तमाम रूपया हर्जा व खर्चा सहित हम प्रथम  
पक्ष व वारिसान मेरे जात व जायदाद से हर प्रकार से वसूल कर लेवे हम प्रथम पक्ष  
व वारिसान मेरे को कोई उज्र या इंकार न होगा।

अतः यह बैनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत काम आवे।



विक्रित/...

जुज/...



द्वितीय पक्ष/...



भारतीय नोन्-जुडिसियल

रुपय

Rs. 100



ONE

HUNDRED RUPEE

100



INDIA NON JUDICIAL

BIHAR PRADESH

(6)

विकरण विकेत आराजी काशत एकमणीय भूमिधर स्थित ग्राम रतूलपुर जहाँनगर  
 २२० व तहस सदर, जिला शाहजहाँपुर लागत खातानुसार देय-

सं०	रकबा	विकरण
३०१	०.०८५ हे०	कुल से हम ५५५५५
१००५	०.०४५ हे०	का १/५ एक का का
६२५	०.००४ हे०	भग है: अपना कु
१२८क	०.०३२ हे०	हित्त विकत किरा
१२१ २६	०.०३२ हे०	
९९ १	०.०४९ हे०	
<b>कुल ६ कित</b>	<b>०.२४७ हे०</b>	

भारत गणराज्य



ONE HUNDRED RUPEES

100





भारत गणराज्य

INDIA NON JUDICIAL


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

नोट - विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का नहीं है, काशत जोड़िंग  
 व पट्टे की नहीं है, काशत में पेड़, बोरिंग व कुआं नहीं है। काशत पक्की सड़क का  
 अंतर 1/2 किमी० दूर है। ब्रिकी की जाने वाली कृषि भूमि मौके पर गहराई में स्थित  
 है और बरसात में जल भराव की समस्या बनी रहती है। ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी  
 गाइजहाँपुर द्वारा उ०प्र० स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) निगमवली 1997 के नियम  
 4 के अन्तर्गत अलग से कीमत नहीं दी गई है। उक्त स्थल पर वार्षिक मूल्यांकन शुद्धी  
 में सभी कृषि भूमि का मूल्यांकन 25 लाख रुपया प्रति हे० दिया गया है, जो मौके  
 पर विक्रय की जा रही कृषि की असल कीमत से काफी अधिक है। चूंकि क्रेता द्वारा  
 रु० 1,20,000/- में उक्त कृषि भूमि खरीदी जा रही है। अतएव शोडयूल- [गी०  
 अधिनियम के आर्टिकल 23 (र) के अनुसार बाजारी कीमत की धनराशि पर ही  
 बेचने का मूल्यांकन करके स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।







1  
 ...  
 ...  
 ...



...  
 ...  
 ...

... ..  
 ... ..  
 ... ..



... ..  
 ... ..  
 ... ..  
 ... ..

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

FIFTY  
RUPEES

Rs.50




INDIA NON JUDICIAL

भारत प्रदेश

(8)

जो असल की कीमत से अधिक है।



गवाह :- कमल कुमार राकसेना पुत्र स्व० सुखवीर सिंह, नि०मो०-खिरसी बाग,  
शहर व जिला शाहजहाँपुर।

गवाह :- अमोल कुमार मिश्र पुत्र श्री उमेश कुमार मिश्र, नि०मो०-हयातपुरा,  
शहर व जिला शाहजहाँपुर।

मसविदा - उमेश कुमार मिश्र (एडवोकेट)

दिनांक - 22 जनवरी, 2014 ई०

साक्षरकर्ता - सूरज राकसेना

22/01/2014

शुभाष चन्द्र वर्मा

शुभाष चन्द्र वर्मा

राज्य शिक्षा, जयपुर, भारत। शाहजहांपुर  
पिन कोड 36 800001 या 36 800002  
मोबा. नं. 98260 123 123

आवृत्ति संख्या 22/01/2014 को  
पृष्ठ सं. 1 दिनांक 8586  
पृष्ठ सं. 287 से 306 पर कुल सं. 968

प्रमाणित किया गया

गतिशुद्धीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम. सी. माथुर  
उपनिबंधक सदर  
शाहजहांपुर  
22/1/2014

22/01/2014  
3688  
13/8/14  
उपनिबंधक सदर



